

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushakti Nagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
Telephone: 25487217/2548727

Ref: निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/34(01)/पशु कल्याण/शिकायतें
DCSEM/Enft/34(01)/Animal Welfare/Complaints/91

मार्च March 22, 2022

परिपत्र CIRCULAR

विषय: अणुशक्तिनगर में तेज गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की संभावना।

Sub: Rash driving leading to accidents in Anushaktinagar.

हाल ही में, इस निदेशालय के ध्यान में लाया गया है कि अणुशक्तिनगर में, खासकर पश्चिमी सेक्टर और मंडला में, रैश ड्राइविंग के परिणामस्वरूप कुत्तों और पिल्लों की मौत हो रही है। लापरवाह ड्राइविंग, पैदल चलने वालों के लिए भी, विशेष रूप से बुजुर्ग नागरिकों के लिए, चिंता का एक प्रमुख कारण बनी है। Of late, it has been brought to the notice of this Directorate about rash driving in Anushaktinagar resulting in death of dogs and puppies, especially in Western Sector and Mandala. Reckless driving is also a major cause of concern to pedestrians particularly the elderly citizens.

इस संबंध में, अणुशक्तिनगर में चलने वाले सभी वाहनों के चालकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों पर ध्यान दें ताकि निर्दोष पैदल चलने वालों के साथ-साथ आवारा जानवरों की जान न जाए। In this connection, the drivers of all vehicles plying in Anushaktinagar are requested to note the following instructions so as to avoid loss of life of innocent pedestrians as well as strays:

1. व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे तेज गति से गाड़ी नहीं चला रहे हैं और निर्धारित गति सीमा के भीतर हैं, खासकर सड़कों पर मोड़ लेते समय। सुरक्षित ड्राइविंग गति का पालन करने में विफल रहने पर आईपीसी की धारा 279 के प्रावधानों के तहत जुर्माना या कारावास या दोनों हो सकते हैं। Individuals should ensure that they are not driving at high speeds and are within the prescribed speed limits, especially while taking bends on roads. Failure to follow safe driving speeds will attract the provisions of Section 279 of the IPC leading to fines or imprisonment or both.
2. दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। Follow all road safety rules to avoid accidents.
3. यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी पैदल यात्री या आवारा जानवर से टकराता है या किसी अन्य वाहन से टकराते हुए नोटिस करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैदल यात्री या आवारा पशुओं को उस अवस्था में लावारिस न छोड़ा जाए। If a person accidentally hits a pedestrian or stray animal or notices being hit by some other vehicle, he should ensure that the pedestrian or stray is not left unattended.
4. फीडर्स कृपया आवारा पशुओं को खाना खिलाने के लिए पहले से ही चिन्हित फीडर स्थलों पर खाना खिलाना सुनिश्चित करें। सड़क के किनारे आवारा पशुओं को खाना न खिलाए अन्यथा सड़क के किनारे तक वे अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। Feeders should ensure that they are feeding the strays at the feeding points already identified as feeding the strays near the roadside would encourage the dogs to extend their territory to the roadside.

सभी निवासियों से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों पर सहयोग करें। All the residents are requested to cooperate on the above instructions.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है This issues with the approval of the Competent Authority.

शैलजा प्रकासम
22/3/2022
(शैलजा प्रकासम Shailaja Prakasam)
मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

अणुशक्तिनगर के आबंटिती - संबंधित अनुरक्षण इकाइयों के माध्यम से और प्रदर्शन/व्यापक प्रचार के लिए।
Allottees of Anushaktinagar - through respective maintenance units and also for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy To:

1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर CSO, Anushaktinagar.
2. सभी रहिवासी कल्याण संघ All Resident Welfare Associations.
3. प्रधान (परियोजनाएँ), नि.से.संप्र.नि Head (Projects), DCSEM.